



भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर
Institute of Physics, Bhubaneswar

संख्या/No. IOP/ACD/2025/ 2207

अप्रैल/ April 07, 2025

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

इस कार्यालय आदेश संख्या आईओपी/एसीडी/2024/1916 दिनांक 22.07.2024 के अनुक्रम में, तथा डॉक्टरेट स्कॉलर्स और पोस्ट-डॉक्टरेट फेलो के लिए आकस्मिक अनुदान के वितरण को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाएगा :

1. एक डॉक्टरेट स्कॉलर अपने कार्यकाल के पहले दो वर्षों में अपने आकस्मिक अनुदान (60,000/- रुपये तक) का उपयोग करके लैपटॉप/नोटबुक/टैबलेट पीसी खरीद सकता है, जो उसके कार्यकाल में एक बार की खरीद होगी। यदि ऐसी खरीद एक वर्ष (पहले या दूसरे) में की जाती है, तो छात्र द्वारा उस वर्ष कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर या कंप्यूटर परिधीय) नहीं खरीदा जा सकता है।
2. बाद के वर्षों में, यानी तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष में, छात्र अपने आकस्मिक अनुदान का उपयोग इस तरह के उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं:
 - a. पुस्तकें (उनकी पढ़ाई/भौतिकी से संबंधित)
 - b. स्टेशनरी, घरेलू यात्रा, पंजीकरण शुल्क और सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाओं, स्कूलों, छात्र बातचीत बैठकों में भागीदारी से जुड़े अन्य खर्च
 - c. पेशेवर निकायों की सदस्यता
 - d. यदि आवश्यक हो तो छात्र 20,000/- रुपये तक की राशि के इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर या कंप्यूटर बाह्य उपकरण खरीद सकते हैं, अन्यथा वे उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए 60,000/- रुपये का उपयोग कर सकते हैं।
3. यदि कोई पीएचडी छात्र पहले दो वर्षों के भीतर संस्थान छोड़ देता है, तो उसे आकस्मिक अनुदान से उसके द्वारा खरीदे गए लैपटॉप/नोटबुक/टैबलेट पीसी को चालू हालत में संस्थान को वापस करना होगा। अन्यथा, संस्थान में उसके अंतिम महीने की फेलोशिप उसके द्वारा उसे वापस करने तक रोक दी जाएगी; उसे संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
4. एक पोस्टडॉक्टरल फेलो अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में लैपटॉप/नोटबुक/टैबलेट पीसी की खरीद के लिए अपने आकस्मिक अनुदान का उपयोग कर सकता है, लेकिन अगर दूसरे वर्ष के लिए कोई विस्तार स्वीकृत नहीं होता है या वह संस्थान छोड़ देता है (पोस्टडॉक्टरल के 2 साल के कार्यकाल के भीतर)।

In continuation to this office order No. IOP/ACD/2024/1916 dated 22.07.2024, and recommendations of the committee constituted for the formulation of comprehensive guidelines to streamline and regulate the disbursement of contingency grants for Doctoral scholars and Post-doctoral Fellows, guidelines will be followed with immediate effect as mentioned below:

1. A doctoral scholar can purchase a Laptop/Notebook/Tablet PCs utilizing his/her contingency grant (upto Rs.60,000/-) in first two years of his/her tenure, which will be one-time purchase during his/her tenure. If such purchase is made in a year (1st or 2nd), then no other electronic gadgets (electronic spares or computer peripherals) can be purchased in that year by the students.
2. In subsequent years, i.e, 3rd, 4th and 5th year, students can utilize their contingency grant for purposes like :
 - a. Books (Related to their studies/Physics)
 - b. Stationery, domestic travel, registration fee and other expenses connected with participation in seminars, conferences, workshops, schools, student interaction meetings
 - c. Membership of professional bodies
 - d. Students can purchase electronic spares or computer peripherals upto an amount of Rs.20,000/- if required, otherwise they can utilize Rs.60,000/- for above mentioned purposes.
3. If a Ph.D. student leaves the Institute within first two years, he/she has to return the Laptop/Notebook/Tablet PCs purchased by him/her from the contingency grant, to the Institute in running condition. Else, the fellowship of his last month in the Institute shall be with-held till he/she returns the same; he/she shall not be issued with no objection certificate from the Institute.
4. A Postdoctoral Fellow can utilize his/her contingency grant for purchase of a Laptop/Notebook/Tablet PCs in the first year of his/her tenure, but has to return the same if no extension for the 2nd year is approved or he/she leaves the Institute (within the tenure of 2 years of postdoctoral).


निदेशक / DIRECTOR

प्रतिलिपि / Copy to :

संकाय सदस्य / डॉक्टरेट विद्वान / पोस्ट-डॉक्टरल फैलो / रजिस्ट्रार / जूनियर एसीओ / जूनियर एओ /
बिल अनुभाग / आंतरिक लेखा परीक्षा। Faculty members / Doctoral Scholars / Post-doctoral Fellows /
Registrar / Jr.Ac.O. / Jr.A.O. / Bill Section / Internal Audit.



भौतिकी संस्थान
Institute of Physics

भौतिकी संस्थान
भुवनेश्वर

Institute of Physics

Bhubaneswar - 751005, India

(परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान)

(An autonomous research institution of Dept. of Atomic Energy, Govt. of India)

संख्या/No. IOP/ACD/2025/2435

अक्टूबर / October 10, 2025

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

इस कार्यालय आदेश संख्या IOP/ACD/2025/2207 दिनांक 07.04.2025 के अनुक्रम में, तथा डॉक्टरेट स्कॉलर्स और पोस्ट-डॉक्टरेट फेलो के लिए आकस्मिक अनुदान के वितरण को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार करने हेतु गठित समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित आकस्मिक अनुदान से वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं:

In continuation to this office order No. IOP/ACD/2025/2207 dated 07.04.2025, and recommendations of the committee constituted for the formulation of comprehensive guidelines to streamline and regulate the disbursement of Contingency Grants for Doctoral scholars and Post-doctoral Fellows, items can be purchased from Contingency Grant as mentioned in the table below:

Sl. No. क्रम सं.	Items सामान	Price Limit fixed (₹) मूल्य सीमा निश्चित (₹)	Remarks टिप्पणी
1	Hard Disk, SSD	≤ 10,000/-	One time in tenure
2	Monitor/External monitor	≤ 10,000/-	One time in tenure
3	Power Bank	≤ 5,000/-	One time in tenure
4	Head Phone/Ear pod	≤ 5,000/-	One time in tenure
5	Pen Drive/USB	≤ 2,000/-	Three times in tenure
6	Wireless keyboard with mouse	≤ 2,000/-	One time in tenure
7	Travel adaptor	≤ 2,000/-	One time in tenure
8	Laptop Bag	≤ 2,000/-	No School Bag or Backpack is allowed.
9	Online Course	≤ 5000/-	On approval from Director
10	Soft copy of kindle Physics book	≤ 2000/-	
11	Sound Box, Projector, Smart Watch, Speaker, Furnitures, Kindle Reader	These items cannot be purchased using Contingency Grant.	

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आकस्मिक अनुदान से वस्तुओं की खरीद विद्वानों द्वारा केवल शोध उद्देश्य के लिए ही की जानी चाहिए। This is to be noted that, purchase of items from Contingency Grant should be procured by the scholars for research purpose only.

डा.घ.-सैनिक स्कूल, भुवनेश्वर - 751 005, भारत

P.O. : SAINIK SCHOOL, BHUBANESWAR - 751005, INDIA

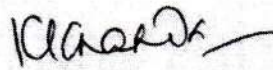
दूरभाष / Phone : 0674 - 2300637, 2301058, 2301823, फैक्स / Fax : 0674-2300142, वेब/ Web : <http://www.iopb.res.in>

हमेशा हिंदी में पत्र व्यवहार करके देश का गौरव बढ़ाएं

इसके अलावा, आकस्मिक अनुदान से प्रतिपूर्ति करते समय निम्नलिखित धाराओं का पालन किया जाएगा।
Besides, the following clauses will be followed while reimbursing from Contingency Grant.

- 1) कार्यालय आदेश संख्या IOP/ACD/2025/2207 दिनांक 07.04.2025 के क्रम संख्या 1 के अनुक्रम में, प्री-डॉक्टोरल छात्र अपने प्रथम सेमेस्टर के अंत में लैपटॉप/नोटबुक/टैबलेट पीसी खरीद सकते हैं। यदि वस्तु पहले खरीदी जाती है, तो प्रतिपूर्ति के बिल प्रथम सेमेस्टर पूरा होने के बाद ही संसाधित किए जाएंगे। In continuation to Sl. No. 1 of the office order No. IOP/ACD/2025/2207 dated 07.04.2025, Pre-doctoral scholars can purchase Laptop/Note Book/Tablet PCs at the end of their 1st Semester. In case the item is purchased earlier, then the bills for reimbursement will be processed after completion of 1st Semester only.
- 2) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/विद्यालयों/कार्यशालाओं में भाग लेने वाले विद्वानों के मामले में, पंजीकरण शुल्क, आवास और भोजन शुल्क आईओपी आकस्मिकता से नहीं लिया जा सकता है, जब व्यय का कुछ हिस्सा अन्य स्रोतों जैसे एचबीएनआई/एनआरएफ (डीएसटी)/सीएसआईआर आदि से प्राप्त होता है। In case of scholars participating in international conferences/seminars/ schools/ workshops, registration fees, accommodation and food charges cannot be availed from IOP Contingency, when part of the expenditure received from other sources such as HBNI/ ANRF (DST)/CSIR etc.
- 3) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों/विद्यालयों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए आईसीटीपी/एमपीआई/पेरिमीटर इंस्टीट्यूट आदि या विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से धन प्राप्त करने वाले विद्वान आईओपी कंटीजेंसी से आवास और पंजीकरण शुल्क का लाभ नहीं उठा सकते हैं। Scholars availing funds from ICTP/MPI/Perimeter Institute etc. or any other University/Institute in abroad for attending international conferences/seminars /schools/workshops cannot avail accommodation and registration charges from IOP Contingency.

अन्य सभी दिशानिर्देश कार्यालय आदेश संख्या IOP/ACD/2025/2207 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार ही रहेंगे। All other guidelines will remain same as in the office order No. IOP/ACD/2025/2207 dated 07.04.2025.


निदेशक / DIRECTOR

प्रतिलिपि / Copy to :

संकाय सदस्य / डॉक्टरेट विद्वान / पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो / रजिस्ट्रार / जूनियर ए.ओ. / लेखा प्रभारी / आंतरिक लेखा परीक्षा / बिल अनुभाग। Faculty members / Doctoral Scholars / Post-doctoral Fellows / Registrar / Jr. A.O. / Accounts in-charge/ Internal Audit/ Bill Section.